

कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय,  
"कामगार भवन" ई - ब्लॉक, सी-२०,  
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (प),  
मुंबई - ४०० ०५१.  
दिनांक - ०५.०२.२०२१

क्र.घा.वि./क्रि.वे.अ/वि.भ./२०२१(१)/कार्या-१०/१२० किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत खालील अनुसूचित उद्योगातील कामगारांकरिता विशेष भत्त्याची रक्कम दि. ०१.०१.२०२१ ते दि. ३०.०६.२०२१ या कालावधीकरिता जाहीर करण्यात येत आहे.

| अ. क्र. | अनुसूचित उद्योगाचे नाव  | सर्व परिमंडळांकरिता विशेष भत्त्याची रक्कम | कालावधी     |
|---------|---|---|-------------|
|         |   | ३   | ४           |
| १       | मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायवादीच्या आस्थापनातील अधिवक्ते किंवा न्यायवादी यांचा अधिसंघ संस्था व विधी व्यवसायाच्या संबंधित आस्थापनेतील कामधंदा | ५,१२४/-                                   | प्रती महिना |
| २       | मोटर दुरूस्ती कार्यशाळा उद्योग  | ५,९७०/-                                   | प्रती महिना |
| ३       | बेकरी उद्योग  | ३,०१६/-                                   | प्रती महिना |
| ४       | कापूस पिंजणे व दाबणे उद्योग   | ५,५९७/-                                   | प्रती महिना |
| ५       | कापड रंगविणे, छपाई उद्योग   | ५,८८५/-                                   | प्रती महिना |
| ६       | काजू प्रक्रिया उद्योग   | ३,१४४/-                                   | प्रती महिना |
| ७       | कागदी, गवती पुडुयापासून खोकी तयार करणारा उद्योग   | ५,१७८/-                                   | प्रती महिना |
| ८       | रासायनिक खते बनविणारा उद्योग  | ५,७५३/-                                   | प्रती महिना |
| ९       | कॅन्टीन आणि क्लब उद्योग   | ४,९००/-                                   | प्रती महिना |
| १०      | सिमंट व सिमंटवर आधारित उद्योग   | ५,२४४/-                                   | प्रती महिना |
| ११      | रस्ते तयार करणे, देखरेख करणे, बांधकाम उद्योग  | ६,२१३/-                                   | प्रती महिना |
| १२      | चित्रपट प्रदर्शनाचा उद्योग  | ५,३५२/-                                   | प्रती महिना |
| १३      | चित्रपट प्रदर्शनाचा उद्योग  | ५,४९२/-                                   | प्रती महिना |
| १४      | सायकल यांत्रिकी कार्यशाळेतील कामधंदा  | ५,०७५/-                                   | प्रती महिना |
| १५      | दवाखाना उद्योग  | ४,९००/-                                   | प्रती महिना |
| १६      | औषधी द्रव्ये व औषध बनविणारा उद्योग  | ५,८६३/-                                   | प्रती महिना |
| १७      | दुग्धालय (डेअरी) उद्योग   | ३,८५०/-                                   | प्रती महिना |
| १८      | लिखाणाच्या वह्या बनविणारा उद्योग  | ५,०४५/-                                   | प्रती महिना |
| १९      | खाण्याचा तंबाखू उद्योग  | ४,९००/-                                   | प्रती महिना |
| २०      | अभियांत्रिकी उद्योग   | ६७५/-                                     | प्रती महिना |
| २१      | कारखाने अधिनियम, १९४८ च्या कलम २ पोट कलम (एम) या व्याख्येतील कारखाने  | ६,३७१/-                                   | प्रती महिना |
| २२      | शार्पेन व बॉलपेन बनविणारा उद्योग  | ६,२७६/-                                   | प्रती महिना |
| २३      | चित्रपट निर्मिती उद्योग   | ४,९००/-                                   | प्रती महिना |
| २४      | काच बल्ब बनविणारा उद्योग  | ४,९००/-                                   | प्रती महिना |
| २५      | काच उद्योग  | ४,९००/-                                   | प्रती महिना |
| २६      | निवासी हॉटेल व उपहारगृह उद्योग  | ४,९००/-                                   | प्रती महिना |
| २७      | केश कर्तनालय उद्योग   | ५,७१०/-                                   | प्रती महिना |
| २८      | रूग्णालय उद्योग   | ५,०७१/-                                   | प्रती महिना |
| २९      | बर्फ व शितपेय बनविणारा उद्योग   | ३,३१२/-                                   | प्रती महिना |
| ३०      | मद्य उत्पादनातील रोजगार   | ४,९००/-                                   | प्रती महिना |
| ३१      | धोबीकाम उद्योग  | ५,६४८/-                                   | प्रती महिना |
| ३२      | चष्मा चौकटी बनविणारा उद्योग   | ३,२४८/-                                   | प्रती महिना |
| ३३      | तेल गिरणी उद्योग  | ५,६१२/-                                   | प्रती महिना |
| ३४      | कागद व कागदी पुढा बनविणारा उद्योग   | ५,४९२/-                                   | प्रती महिना |
| ३५      | प्लॉस्टिक उद्योग  | ४,९००/-                                   | प्रती महिना |
| ३६      | पेंट व वॉर्निश बनविणारा उद्योग  |   |             |

|    |   |                  |                            |
|----|---|------------------|----------------------------|
| ३९ | पोहे, धूरधुने व कूरधुने बनविणारा उद्योग   | ५,६६५/-          | प्रती महिना                |
| ३७ | घंढ्याग उद्योग  | ४,०६९/-          | प्रती महिना                |
| ३८ | घुहण उद्योग   | ५,२४४/-          | प्रती महिना                |
| ३९ | सावंजनिक घोटार बाहनुक उद्योग  | ५,६६५/-          | प्रती महिना                |
| ४० | तघार कपडे बनविणारा उद्योग   | ५,०७५/-          | प्रती महिना                |
| ४१ | रबर उद्योग  | ४,९००/-          | प्रती महिना                |
| ४२ | भात, पीठ व डाळ गिरणीतील उद्योग  | ५,६६५/-          | प्रती महिना                |
| ४३ | रबरी फुगे बनविणारा उद्योग   | ५,६६५/-          | प्रती महिना                |
| ४४ | पोलादी सामान बनविणारा उद्योग  | ४,९००/-          | प्रती महिना                |
| ४५ | सिस्का उद्योग   | ४,९९७/-          | प्रती महिना                |
| ४६ | दगड फोडणे व खडी करणे उद्योग   | २,७०४/-          | प्रती महिना                |
| ४७ | सौंदर्य प्रसाधने व साबण बनविणारा उद्योग   | ४,९००/-          | प्रती महिना                |
| ४८ | दुकाने व व्यापारी आस्थापना उद्योग   | १,०९२/-          | प्रती महिना                |
| ४९ | सफाईगार व मेहतर कामधंदा   | ३,५३६/-          | प्रती महिना                |
| ५० | लाकूट कटाई उद्योग   | २,६५२/-          | प्रती महिना                |
| ५१ | कातडी कमावणे व चामड्याच्या वस्तू तयार करणे  | ३,५३७/-          | प्रती महिना                |
| ५२ | धातूची भांडी बनविणारा उद्योग  | ५,६००/-          | प्रती महिना                |
| ५३ | लाकडी फोटो चौकट बनविणारा उद्योग   | ४,९००/-          | प्रती महिना                |
| ५४ | लाकडी फर्निचर बनविणारा उद्योग   | ४,९००/-          | प्रती महिना                |
| ५५ | घड्याळाचे पट्टे बनविणारा उद्योग   | ५,६६५/-          | प्रती महिना                |
| ५६ | हातमाग उद्योग   | ३,०१३/-          | प्रती महिना                |
| ५७ | मातीची भांडी बनविणारा उद्योग  | ३,०१३/-          | प्रती महिना                |
| ५८ | वन व वनशास्त्र विषयक रोजगार   | ५,३६८/-          | प्रती महिना                |
| ५९ | चांदी उद्योग  | ५,७५३/-          | प्रती महिना                |
| ६० | तंबाखू (बिडी) उद्योग  | २,५०८/-          | प्रती महिना                |
| ६१ | स्थानिक स्वराज्य संस्था अ) ग्रामपंचायत<br>ब) ग्रामपंचायत वगळून  | ४०३/-<br>५,७०५/- | प्रती महिना<br>प्रती महिना |
| ६२ | रंग व रसायने बनविणारा उद्योग  | ३,५६५/-          | प्रती महिना                |
| ६३ | विटा व कौले बनविण्याच्या कारखान्यातील कामधंदा   | ३,४०६/-          | प्रती महिना                |
| ६४ | भूशी किंवा गाई किंवा दोन्ही जेथे दूध काढण्यासाठी, स्वच्छ करण्यासाठी, चारा घालण्यासाठी आणि इतर सर्व अनुषंगिक प्रक्रियासाठी ठेवण्यात येतात, अशा कोणत्याही जागेतील कामधंदा (तबेला) | ३,२७५/-          | प्रती महिना                |
| ६५ | मिठागरातील कामधंदा  | ५,४९२/-          | प्रती महिना                |
| ६६ | शेतकी कामधंदा   | २,६४३/-          | प्रती महिना                |
| ६७ | कांदे साफ करणे उद्योग   | ८७/-             | प्रती दिन                  |

विशेष भत्याची रक्कम सर्व परिमंडळाकरिता प्रत्येक अनुसूचित उद्योगासमोर दर्शविण्यात आली आहे.



(बी. व्ही. वाघ)  
कामगार उप आयुक्त, (प्रा.वि.), मुंबई  
व सक्षम प्राधिकारी,  
किमान वेतन अधिनियम, १९४८